कुलाधिपति
Chancellor

महर्षि दयानन्द सरस्वती ....विश्वविद्यालय,
..........University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.26(3)आरबी / 2020 /6892
दिनांक : 26 नवम्बर, 2024

आदेश

राजभवन के आदेश कमांक 5838–39 दिनांक 29.10.2021 के माध्यम से प्रो. अनिल कुमार शुक्ला को कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का कुलपति नियुक्त किया गया था।

प्रो. शुक्ला द्वारा दिनांक 27.11.2021 को पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण किया गया। इनका कुलपति पद का तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 26.11.2024 को पूर्ण हो गया है।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (यथा संशोधित) की धारा 19(3) के अंतर्गत कुलपति पद पर नियमित नियुक्ति होने में समय लगने की संभावना है।

अतः मैं, हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 1987 (यथा संशोधित) की धारा 19(9) व 19(10) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से प्रो. कैलाश सोढाणी, कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा को अग्रिम आदेशों अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, कामचलाऊ व्यवस्था (Stop-gap arrangement) अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

हस्ता0
(हरिभाऊ बागडे)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.26(3)आरबी / 2020 / 6693 दिनांक : 26 नवम्बर, 2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रो. कैलाश सोढाणी, कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
5. कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
6. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
7. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान